

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2014/पौष 23, 1935

No. 17]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2014/PAUSHA 23, 1935

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2014

संख्या 1 सी.ए. (7)(157)/2014.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1A) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद्, पूर्व भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 3 जनवरी, 2014 से डिब्रुगढ़ जिले में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा पूर्व भारत प्रादेशिक परिषद् की डिब्रुगढ़ शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत डिब्रुगढ़ जिले के साथ-साथ निम्नलिखित शहर/नगर आयेंगे :-

1. दुलियाजन
2. नहरकटिया

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए पूर्व भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

टी. कार्तिकेयन, सचिव

[विज्ञापन- III / 4 / असाधारण / 104 / 13]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

(Chartered Accountants)

New Delhi, the 6th January, 2014

No.1-CA(7)/(157)/2014.—In pursuance of Regulation 159(1A) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Eastern India Regional Council at Dibrugarh District with effect from 3rd January, 2014.

The Branch shall be known as Dibrugarh Branch of the Eastern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include the following cities falling within Dibrugarh District :—

1. Duliajan
2. Naharkatia

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Eastern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

T. KARTHIKEYAN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty/104/13]

अधिसूचना

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2014

संख्या 1 सी.ए. (7)(158)/2014.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1A) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद, पूर्व भारत प्रादेशिक परिषद की एक शाखा की पूर्व दिनांक 3 जनवरी 2014 से तिनसुकिया जिले में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा पूर्व भारत प्रादेशिक परिषद की तिनसुकिया शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तिनसुकिया जिले के साथ-साथ निम्नलिखित शहर/नगर आयेंगे :—

1. डिगबोई
2. मार्गहरिता

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए पूर्व भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

टी. कार्तिकेयन, सचिव

[विज्ञापन— [III / 4 / असाधारण / 104 / 13](#)]

NOTIFICATION

(Chartered Accountants)

New Delhi, the 6th January, 2014

No.1-CA(7)/(158)/2014.—In pursuance of Regulation 159(1A) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Eastern India Regional Council at Tinsukia District with effect from 3rd January, 2014.

The Branch shall be known as Tinsukia Branch of the Eastern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include the following cities falling within Tinsukia District :—

1. Digboi
2. Margherita

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Eastern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

T. KARTHIKEYAN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty/104/13]

अधिसूचना
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2014

संख्या 1 सी.ए. (7)(159)/2014.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1A) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की एक शाखा की दिनांक 3 जनवरी, 2014 से करीमनगर जिले में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की करीमनगर शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करीमनगर जिले के साथ-साथ निम्नलिखित शहर/नगर आयेंगे :—

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. बसन्तनगर | 7. मनचिरीयन |
| 2. गोदावरी खानी | 8. मेटपैली |
| 3. जगतिवाल | 9. पीडापल्ली |
| 4. जामीकुन्ता | 10. सिरीचिला |
| 5. ज्योतीनगर | 11. विमुलावादा |
| 6. कोरातला पी.ओ. | |

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

टी. कार्त्तिकेयन, सचिव

[विज्ञापन— [III/4/असाधारण/104/13](#)]

NOTIFICATION
(Chartered Accountants)

New Delhi, the 6th January, 2014

No.1-CA(7)/(159)/2014.—In pursuance of Regulation 159(1A) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council at Karimnagar District with effect from 3rd January, 2014.

The Branch shall be known as Karimnagar Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include the following places/cities within Karimnagar District :—

1. Basant Nagar
2. Godavari Khani
3. Jagtial
4. Jammikunta
5. Jyothi Nagar
6. Koratla PO
7. Mancheria
8. Metpally
9. Peddapally
10. Siricilla
11. Vemulawada

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

T. KARTHIKEYAN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty/104/13]

**अधिसूचना
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)**

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2014

संख्या 1 सी.ए. (7)(160)/2014.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1A) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की एक शाखा की दिनांक 3 जनवरी, 2014 से वारंगल जिले में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की वारंगल शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वारंगल जिले के साथ-साथ निम्नलिखित शहर/नगर आयेंगे :—

1. हननकोन्डा
2. जनगौव
3. कमलापूरम
4. काजीपैट

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की मारफत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

टी. कार्तिकेयन, सचिव

[विज्ञापन— [III / 4 / असाधारण / 104 / 13](#)]

NOTIFICATION

(Chartered Accountants)

New Delhi, the 6th January, 2014

No.1-CA(7)/(160)/2014.—In pursuance of Regulation 159(1A) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council at Warangal District with effect from 3rd January, 2014.

The Branch shall be known as Warangal Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include the following places/cities within Warangal District:—

1. Hanankonda
2. Jangaon
3. Kamalapuram
4. Kaziepet

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

T. KARTHIKEYAN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty/104/13]

**अधिसूचना
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)**

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2014

संख्या 1 सी.ए. (7)(161)/2014.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की एक शाखा की दिनांक 03 जनवरी, 2014 से ओंगोल में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की ओंगोल शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ओंगोल के साथ-साथ निम्नलिखित शहर/नगर भी आयेंगे :—

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. अद्दानकी | 11. इरागोण्डापलम |
| 2. अर्थावीडू | 12. गीडालूर |

3. वादीवरीपालम	13. गुडुलूर
4. चीमाकुर्ती	14. इनकोलू
5. चीम्मीरीनन्दा पी.ओ.	15. इपुरुपलम
6. चीरागनजम	16. जनडरापेट
7. चिन्तलापालम	17. के.बी. पालेम, पी0ओ0
8. चिराला	18. कालावकूर
9. चुमबुम (ए.पी.)	19. कनडूकूर
10. डारसी	20. कानीगिरी
21. मार्कपुर	31. राजमपाली
22. नायडू वारी पालम	32. सन्थामगुलूर पी.ओ.
23. नन्दनवनम	33. संस्थानउथलापाडन
24. निकुनमपुरम	34. सिंगामनीनीपाली पी.ओ.
25. पैडीपाडू	35. सिंगगराया कोण्डा
26. पालाकुरु	36. तनगुदूर
27. पीडडागुडीपाडू पी.ओ.	37. यूपीममगलरू
28. पोडीली	38. उप्पूगुनडूर
29. पोकुरु पी.ओ.	39. वलूर पी.ओ.
30. पौन्नालोर	40. वैटा पालम

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

टी. कार्तिकेयन, सचिव

[विज्ञापन— [III/4/असाधारण/104/13](#)]

NOTIFICATION

(Chartered Accountants)

New Delhi, the 6th January, 2014

No.1-CA(7)/(161)2014.—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council at Ongole with effect from 3rd January, 2014.

The Branch shall be known as Ongole Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Ongole, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Ongole :—

1. Addanki
2. Arthaveedu
3. Badevaripalem
4. Chimakurthy
5. Chimmiribanda P.O.
6. Chinnaganjam
7. Chintalapalem
8. Chirala
9. Cumbum (AP)
10. Darsi
11. Erragondapalem

12. Giddalur
13. Gudulur
14. Inkollu
15. Ipurupalem
16. Jandrapet
17. K.V. Palem P.O.
18. Kalavakur
19. Kandukur
20. Kanigiri
21. Markapur
22. Naidu Vari Palem
23. Nandanavanam
24. Nekunampuram
25. Paidipadu
26. Palakuru
27. Peddagudipadu P.O.
28. Podili
29. Pokuru P.O.
30. Ponnalore
31. Rajampalli
32. Santhamagulur P.O.
33. Santhanuthalapadu
34. Singamanenipalle P.O.
35. Singaraya Konda
36. Tangutur
37. Uppumaguluru
38. Uppugundur
39. Vallur P.O.
40. Vetapalem

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

T. KARTHIKEYAN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty/104/13]